

भारतीय मानक ब्यूरो
(स्थापना विभाग)

मानक भवन,
9, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002
दिनांक: 21.03.2022


संदर्भ: Estt-V/जी-3:2/2022

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को नीचे दिये गए विवरण के अनुसार स्थानांतरण करने का निर्णय लिया है / It has been decided to transfer the following officials as per details given below:

क्र.सं.	कर्मचारी सं.	नाम एवं पद	स्थानांतरण	
			से	में
1.	056340	Smt Sunita Rani, PS	FRBO, Faridabad	HQ-DDGF Sectt.
2.	062820	Shri Vishal Dogra, SO	DDGN Sectt., Chandigarh	HUBO, Hubli (initially for a period of one year as a temporary arrangement)

- वे अपनी पोस्टिंग के अपने वर्तमान स्थान से दिनांक 21.03.2022 (अपराह्न) में कार्यमुक्त होंगे और दिनांक 22.03.2022 (पूर्वाह्न) में पोस्टिंग के अपने नये स्थान पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे। They shall be **STAND Relieved** from their present place of posting in the **afternoon of 21.03.2022** and shall report for duty at their new place of posting in the **forenoon of 22.03.2022**.
- कर्मचारी S.No.2(Shri Vishal Dogra) पर नियमानुसार स्थानांतरण लाभ, जोड़िंग टाइम, आदि पाने की हकदार होंगे तथा अपने स्थानांतरण से पहले सीजीएस कार्ड, किताब/प्रकाशन, यदि कोई हो, जोकि उन्होंने अपने नाम से जारी कराई हैं, तो विभाग को वापस करेंगे। उनके लिये यह आवश्यक है कि वह स्थानांतरित होने से पहले अपने सभी देय समायोजनों जैसे कि चिकित्सा, एल.टी.सी., यात्रा भता, आदि का निपटान संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार करेंगे। Official mentioned at Sl. No. 2(Shri Vishal Dogra), shall be entitled to all transfer benefits i.e. TA, Joining Time, etc. as admissible under the rules and shall return CGHS Card(s), any book or publication borrowed by them, if any, before their relieving. They are required to settle the due adjustments i.e. TA/DA, LTC, Medical, etc. in accordance with the relevant rules and regulations before relieving.
- उनके लिये यह आवश्यक है कि वह अपनी ड्यूटी ग्रहण रिपोर्ट अपने विभागीय प्रमुख के माध्यम से स्थापना विभाग (estt@bis.gov.in) तथा साथ ही एक कॉपी निदेशक (वित्त) (fin@bis.gov.in) को प्रेषित करेंगे। They are required to send their Joining Report through Departmental Head to Establishment Department (estt@bis.gov.in) together with a copy endorsed to Director (Finance) (fin@bis.gov.in), in due course.
- यह आदेश, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। This issues with the approval of Competent Authority.


(एन. रवि शंकर)
निदेशक (स्थापना)

All above concerned officials

कापीप्रेषित:

- DDGA Sectt
- All concerned Activity Heads
- All concerned HODs
- Director (Accounts)
- Director (Finance)
- ITS Deptt.
- Leave File
- SOE-IV – for HFMS updation.